

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्थाई भण्डार/2023/17

दिनांक: 10/04/2023

मैसर्स

2. प्रभारी, सर्वर रूम-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. नोटिस बोर्ड (मुख्यालय)।

-:सीमित निविदा सूचना संख्या 01/2023-24:-

विषय:-सीमित निविदा के अन्तर्गत वाटर कूलर एवं आर.ओ. का मरम्मत व सर्विस कार्य तथा वार्षिक रख-रखाव कार्य का अनुबन्ध करने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय (चिकित्सा पक्ष) के मुख्य भवन "ए","बी" ब्लॉक तथा नव निर्मित भवन में निम्नानुसार 150 लीटर के 04 वाटर कूलर एवं 50 लीटर के 08 आर. ओ. निम्नानुसार स्थल पर स्थापित है:-

क्र. सं.	नाम/कम्पनी/ क्षमता	स्थान	क्र.सं.	नाम/कम्पनी/ क्षमता	स्थान
1	वाटर कूलर-150 लीटर (ब्ल्यू स्टार-1 नग)	नव निर्मित भवन	1	आर.ओ.-50 लीटर (एक्वागार्ड-2 नग)	नव निर्मित भवन
2	वाटर कूलर-150 लीटर (ब्ल्यू स्टार-1 नग)	भूतल (ए-ब्लॉक)	2	आर.ओ.-50 लीटर (केन्ट-1 नग)	भूतल (ए-ब्लॉक)
	वाटर कूलर-150 लीटर (ब्ल्यू स्टार-1 नग)	प्रथम तल (ए-ब्लॉक)	3	आर.ओ.-50 लीटर (केन्ट-1 नग)	भूतल (ए-ब्लॉक)
4	वाटर कूलर-150 लीटर (वोल्टास-1 नग)	तृतीय तल (ए-ब्लॉक)	4	आर.ओ.-50 लीटर (केन्ट-1 नग)	प्रथम तल (ए-ब्लॉक)
				आर.ओ.-50 लीटर (एक्वागार्ड-1 नग)	
			5	आर.ओ.-50 लीटर (एक्वागार्ड-1 नग)	तृतीय तल (ए-ब्लॉक)
				आर.ओ.-50 लीटर (केन्ट-1 नग)	

उक्त तालिका में अंकित 04 वाटर कूलर एवं 08 आर.ओ. का मरम्मत व सर्विस कार्य तथा ए.एम.सी. /वार्षिक रख-रखाव कार्य (01 वर्ष तक) का अनुबन्ध किया जाना है। यदि आप उक्त कार्य करने के इच्छुक है तो आपकी फर्म में कार्यरत तकनीकी दक्ष/कुशल मैकेनिक से उक्त उपकरणों की जाँच कराकर मरम्मत एवं सर्विस कार्य की दरें तथा वार्षिक रख-रखाव कार्य की दरें पृथक-पृथक फर्म के लेटर हैड पर अलग-अलग बन्द लिफाफे में इस कार्यालय के भण्डार अनुभाग में दिनांक 17.04.2023 को मध्याह्न 1.00 बजे तक प्रस्तुत करने का श्रम करें। समय प्राप्त सीमित निविदा उक्त दिनांक 17.04.2023 को मध्याह्न 2.00 बजे उपापन समिति के समक्ष/द्वारा खोली जायेगी।

नोट:-

- (1) समय पश्चात् प्राप्त सीमित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा
- (2) फर्म का उक्त कार्य करने संबन्धित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- (3) कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी, जिससे विभाग का कोई लेना-देना नहीं होगा।
- (4) वाटर कूलर एवं आर.ओ. में जो भी नये पार्ट्स लगाये जायेंगे वह उच्चतम गुणवत्ता एवं संबंधित/निर्माता कम्पनी के जेनुअन पार्ट्स ही लगाने होंगे जिनकी गारण्टी/वॉरण्टी दिया जाना आवश्यक है , तथा पुराने एवं खराब पार्ट्स कार्यालय में जमा कराने होंगे
- (5) दरें समस्त कर, सामान, मालभाड़ा, लेबर खर्च आदि सहित प्रस्तुत की जानी है।


भण्डार अधिकारी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर